(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 101–एक/2017 निगरानी – विरूद्व– आदेश दिनांक 01–10–2016 – पारित व्दारा – आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 164 अ–27/2015–16 अपील

1– श्रीमती अंजनावाई पत्नि प्रभाकर डोईजोड़
निवासी मारूड, तहसील पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
2– श्रीमती अनुसयावाई पत्नि जगन्नाथ सांवारे
प्लाट नं. 154 अजनी पार्वती नगर नागपुर
जिला रामपुर महाराष्ट्र
3– श्रीमती कलावती पत्नि जगन्नाथ मेटांगले ग्राम
सावरगॉव तहसील नीरखेड़ जिला नागपुर महाराष्ट्र ———आवेदकगण

विरूद्व

1– रबिन्दु पुत्र बिनायक क्षीरसागर गणेश वार्ड
पॉडुर्ना जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश
2– माधव पुत्र बासुदेव क्षीरसागर ग्राम बेलगॉव
तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा
3– मोहन पिता मधुकर क्षीरसागर प्लाट नं. 76–ए
पांडे ले आउट पानी की टंकी के पास स्नेहल
नगर नागपुर महाराष्ट्र
4– रामचंद्र पुत्र महादेव क्षीरसागर प्लाट नं0 7
लोटस रोड नं. 5 सेक्टर 11 न्यू पनवेल
न्यू मुंवई महाराष्ट्र
5– दौलत पिता रोडवाजी क्षीरसागर मृत वारिस
अ– गंगावाई पत्नि स्व. दौलतराम क्षीरसागर
मुकाम पोस्ट ग्यारह खोली जवाहर वार्ड
पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
ब– देवीदास पिता स्व. दौलतराम क्षीरसागर
मुकाम पोस्ट भष्णूर तहसील नरखेड जिला नागपुर
स– सुभाष पिता स्व. दौलतराम क्षीरसागर मुकाम पोस्ट
ग्यारह खोली जबाहर वार्ड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
द– गुलाव स्व. दौलतराम क्षीरसागर मुकाम पोस्ट
ग्यारह खोली जबाहर वार्ड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
ध– विजय पिता दौलतराम क्षीरसागर
ग्यारह खोली जबाहर वार्ड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा

कृ0पृ0उ0——2

6- सुखदेव पिता सदाशिव क्षीरसागर
ग्यारह खोली जबाहर वार्ड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
7- वामन पिता सदाशिव क्षीरसागर
ग्यारह खोली जबाहर वार्ड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
8- शेषराव पिता मुकुंद क्षीरसागर मृत वारिस
अ- श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व. शेषराव क्षीरसागर
पटैल कालोनी पटैल मंगल कार्यालय के पास
छिंदवाड़ा तहसील व जिला छिंदवाड़ा
9- सुरेश पिता मुकुंद क्षीरसागर निवासी नवीन
खापा तहसील सावनेर जिला नागपुर महाराष्ट्र
10-लक्ष्मीवाई पतिन स्व.विनायक झीरसागर निवासी
गणेश वार्ड पांढुरना जिला छिन्दवाड़ा
11-धनराज पिता विनायक क्षीरसागर
पटैल कालोनी पटैल छिंदवाड़ा तहसील व जिला छिंदवाड़ा
12- आशा पत्नि स्व.सामेश्वर झीरसागर निवासी संतोषी
माता वार्ड मोक्षधाम रोड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
13- अरबिन्द पिता स्व.सामेश्वर झीरसागर निवासी संतोषी
माता वार्ड मोक्षधाम रोड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा
14- चन्दन पिता स्व.सामेश्वर झीरसागर निवासी संतोषी
माता वार्ड मोक्षधाम रोड पांढुरना जिला छिंदवाड़
15- प्रवीण पिता स्व.सामेश्वर झीरसागर निवासी संतोषी
माता वार्ड मोक्षधाम रोड पांढुरना जिला छिंदवाड़ा ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0के0.त्रिपाठी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थि - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 12-04-2019 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्र.क्र. 164 अ-27/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-10-16 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार पांढुरना के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा सावरगॉव पटवारी हलका नंबर 51 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 244 रकबा 4-322 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के

बटवारे की मांग की। तहसीलदार पांढुरना ने प्रकरण क्रमांक 181 अ-27/12-13 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10-2-2015 पारित करके वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना ने प्रकरण क्रमांक 29 अ-27/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-10-15 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार पांढुरना का आदेश दिनांक 10-2-2015 निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, जबलपुर संभाग ने प्र.क्र. 164 अ–27/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–10–16 से अपील अस्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना का आदेश दिनांक 19-10-15 यथावत् रखा। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार पांढुरना ने प्रकरण क्रमांक 181 अ-27/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10-2-2015 के पद 3 में अंकित किया है कि :-

> **मौजा सावरगांव की भूमि ख0नं0 244 रकबा 4-322 है. भूमि पर बासुदेव मधुकर विनायक रामचंद्र पिता महादेव अंजनावाई अनुसया कलावति पिता लक्ष्मण मुकिदा सदाशिव दौलत पिता रोड्या जाति तेली के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें से आवेदिका अंतनावाई कलावती तथा अनुसुईया जीवित हैं तथा शेष खातेदार फोत है। फोत खातेदारों के विधिक वारसान अन्यत्र ग्राम में निवास करने से उनके वास्तविक वारिसान की जानकारी नहीं होना उल्लेखित किया गया है।**

परिलक्षित है कि सहखातेदार मृत है और मूल दावाकर्ता ने मृतक के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है एंव पक्षकारों के नाम व पते छिपाये हैं तहसीलदार के समक्ष जब यह स्थिति स्पष्ट हो गई थी, तहसीलदार को वादोक्त भूमि का बटवारा नहीं करना था। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना ने आदेश दिनांक 19-10-10 में यह अंकित करते हुये तहसीलदार के आदेश को

निरस्त किया है कि प्रश्नाधीन भूमि उभय पक्षकारों की पैतृक संपत्ति है यदि किसी पक्षकार के विरूद्ध न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तो इससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उसके व्दारा अपना हक त्याग दिया गया है जबकि वह पैतृक संपत्ति में बराबर का हक रखता है एंव उसे उसके हक से बंचित नहीं किया जा सकता, और इन्हीं कारणों से आयुक्त, जबलपुर संभाग ने आदेश दिनांक 1—10—16 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना के आदेश दिनांक 19-10-15 में निकाले गये निष्कर्षो से सहमत होते हुये द्वित्तीय अपील निरस्त की है। अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना व्दारा आदेश दिनांक 19-10-15 मेंमें निकाले गये निष्कर्ष एंव आयुक्त जबलपुर संभाग व्दारा आदेश दिनांक 1-10-16 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 164 अ—27 / 2015—16 अपील में पारित आदेश दिनांक 1—10—16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर